

Office of the Principal

SANT SHIROMANI GURU RAVIDAS GOVT. COLLEGE SARGAON, DIST. MUNGELI, C. G.

(college code-2904) WWW.Sargaon.ac.in email-ssgrgovtcollegesargaon@gmail.com ph- 07752275777


CERTIFICATE

This is to certify that the rules of GOI/ State Government for reservation of seats earmarked for different reserved categories are being adopted in this institution for last five years. According to the guidelines issued by the Department of Higher Education Government of Chhattisgarh, the percentage of reservation for admission of students of different categories are as follows:-

1. **Scheduled Tribe (ST)** – 32% Vertical Reservation
2. **Scheduled Cast (SC)**- 12% Vertical Reservation
3. **Other Backward Cast (OBC)**- 14% Vertical Reservation

(If the seats reserved for OBC categories remain vacant due to non-availability of applicants of this category, these will be filled by eligible applicants of scheduled categories in reverse order, If the seats reserved for above categories remain vacant till last date of admission, these will be provided to other categories.

4. **Freedom Fighter's Grandson/ Daughter** – 3% Horizontal Reservation in respective categories.
5. **Differently Abled** – 5% Horizontal Reservation in respective categories.
6. **Women / Girls** -30% Horizontal Reservation in respective categories.
7. **For Third Gender Candidates**, The Honorable Supreme Court order No. WP (C) 400/2012 date 15.04.2014 clause 129 (3) which state that “We direct the Center and State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments” is being strictly followed in this institution.


Principal
Principal
Sant Shiromani Guru Ravidas
Govt. College, Sargaon
Distt. Mungeli (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020-21 हेतु


प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत


Principal
Sant Shiroimani Guru Ravidas
Govt. College, Sargaon
Distt. Mungeli (C.G.)

Scanned with CamScanner

- स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा गे उत्तीर्ण
 नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्थायीया
 विद्यार्थियों के क्रम मे होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त वरने
 वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी
 महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/ तहसीलों/ जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण
 करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर
 कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12 आरक्षण - छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संरथा में इसका
 विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
 (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वर्तीस प्रतिशत
 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वारह प्रतिशत
 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत
 सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के
 लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से
 भरा जाएगा।
 (क) परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवरथा के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क)
 (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे
 अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) विन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण
 उद्धार्धर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 (2) निःशवत व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम
 सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का
 प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के
 प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख)
 तथा (ग) के अधीन यथारिति, उद्धार्धर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लि
 प्रतिशत रक्षान आरक्षित रहेंगे। निःशवत श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत रक्षा
 आरक्षित रहेंगे।

५८५


Principal
Sant Shrimati Guru Ravidas
Govt. College, Sargaon
Distt. Mungeli (C.G.)

सभी बर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आश्रित हैं। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी औपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सारी यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवार्ग जौरों- स्वतंत्रता सद्वाग सेनानी आदि का भी है तो संवार्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी, मात्र। जाएगी, शेष संवार्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित रथान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित रथान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित रथान की सख्ता एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सबध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विलद्व भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कड़ाई से पालन किया जाए।


Principal
Sant Shikromani Guru Ravidas
Govt. College, Sargaon
Distt. Mungeli (C.G.)